2011:CGHC:10923

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

.....

दांडिक अपील क्रमांक 620/1994

मोतीलाल बनवाला

बनाम

मध्यप्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़ शासन)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनाँक 05-12-2011 को
निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षर
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

2011:CGHC:10923

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश

आपराधिक दांडिक क्रमांक 620/1994

अपीलकर्ता	मोतीलाल बनवाला, पिता– रामलाल बनवाला, श्रम उप निरीक्षक, बिलासपुर
	बनाम
उत्तरवादी	मध्यप्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़ शासन), थाना-विशेष पुलिस स्थापना, कार्यालय लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 374(2) के अंतर्गत आपराधिक अपील

उपस्थित : श्री राजीव श्रीवास्तव, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री रविन्द्र अग्रवाल, शासन/उत्तरवादी के लिए पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(5 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया)

वर्तमान अपील अभियुक्त/अपीलकर्ता मोतीलाल बनवाला द्वारा दायर की गई है, जो दिनांक 07-06-1994 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 2/88 में पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसमे अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम, 1947') की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा एक वर्ष का कठोर कारावास, एक वर्ष का कठोर कारावास (क्रमशः) एवं ₹1000/- का जुर्माना लगाया गया, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों कारावास की सजाएँ साथ-साथ चलेगी।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) प्रकाश काले (अ.सा.-6) का छोटा भाई है। दिनांक 19-03-1986 को अपीलकर्ता बिलासपुर में श्रम उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 18-03-1986 को अपीलकर्ता प्रकाश काले (अ.सा.-6) की मोटर-पार्ट्स की दुकान पर गया। उस समय प्रमोद काले (अ.सा.-8) अपने बड़े भाई प्रकाश काले (अ.सा.-6) की दुकान में बैठा हुआ था। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से दुकान के पंजीयन प्रमाणपत्र को दिखाने के लिए कहा। प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने अपीलकर्ता को बताया कि उसका भाई प्रकाश काले (अ.सा.-6) दमोह गया हुआ है और आवश्यक कागजात उसके लौटने पर दिखाए जाएंगे। इस पर अपीलकर्ता ने प्रमोद काले (अ.सा.-8) को धमकी दी कि उसे ₹150/- देना होगा, अन्यथा वह मामला न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर में लिखित शिकायत (प्रदर्श-पी/8) प्रस्तुत की। उक्त शिकायत (प्रदर्श-पी/8) पर प्रकाश काले (अ.सा.-6) के हस्ताक्षर भी हैं। लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक ने शिकायत (प्रदर्श-पी/8) को निरीक्षक लोकायुक्त एच.एन. शुक्ला (अ.सा.-10) को कार्रवाई हेतु तथा ट्रैप कार्यवाही की व्यवस्था हेतु अग्रेषित किया। एच.एन. शुक्ला (अ.सा.-10) ने पंच गवाहों – अतिरिक्त तहसीलदार बलवंत सिंह छाबड़ा (अ.सा.-1) तथा एस.एन. दुबे, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, बिलासपुर – को बुलाया। पूर्व-ट्रैप प्रदर्शन की व्यवस्था की गई, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। उसमें साधारण कागज डुबोने पर घोल का रंग नहीं बदला। तत्पश्चात फिनॉल्फ्थलीन पाउडर लगे हुए कागज को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) तैयार किया गया। प्रदर्शन के बाद शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) से ₹150/- की मुद्रा प्रस्तुत करने को कहा गया, जो उसने ₹100/- और ₹50/- के नोटों में दी, उन पर फिनॉल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया और उन्हें शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) की टी-शर्ट की जेब में रखा गया। शिकायतकर्ता को यह भी बताया और समझाया गया कि ट्रैप कैसे किया जाएगा और और उस भूमिका के बारे में जो उन्हें ट्रैप की कार्यवाही में निभानी होगी। नोटों के क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) में दर्ज किए गए। प्री-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) तैयार करने और प्री-ट्रैप की कार्यवाही पूरी करने के बाद, ट्रैप-टीम प्रकाश काले (अ.सा. 6) की दुकान, जिसका नाम प्रकाश ऑटोमोबाइल्स है, की ओर रवाना हुई। शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) को दुकान में जाकर उपस्थित रहने को कहा गया। कुछ समय बाद अपीलकर्ता वहाँ पहुँचा और दुकान में प्रवेश किया। शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता को ₹150/- के नोट दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) और अपीलकर्ता दुकान से बाहर आए। शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने प्रतीक्षारत ट्रैप दल को संकेत दिया। ट्रैप दल के सदस्य तुरंत वहाँ पहुँचे और अपीलकर्ता के हाथ पकड़ लिए। ट्रैप दल ने अपीलकर्ता से मुद्रा नोट जब्त किए (प्रदर्श-पी/11)। जब्त किए गए नोटों के क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) में दर्ज क्रमांकों से मिलाए गए। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अपीलकर्ता के हाथ उसमें धोए गए, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। तत्पश्चात घोल को बोतल में रखकर सील किया गया। एक अन्य सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया, जिसमें जब्त किए गए मुद्रा नोट डुबोए गए जिसका रंग भी गुलाबी हो गया। यह घोल भी बोतल में रखकर सील किया गया। ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/3) तैयार किया गया। अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली गई और प्रकाश ऑटोमोबाइल्स दुकान से संबंधित निरीक्षण नोट जब्त किया गया (प्रदर्श-पी/13)। तलाशी के दौरान अपीलकर्ता के घर से ₹3805/- की मुद्रा जब्त की गई (प्रदर्श-पी/1)। तत्पश्चात नलिसी (प्रदर्श-पी/15) दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/16) दर्ज की गई। सीलबंद घोलों को परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। निदेशक, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से प्राप्त प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/18) में फिनॉल्फ्थलीन पाउडर की जाँच सकारात्मक पाई गई। प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के नाम से जारी पंजीयन प्रमाणपत्र भी जब्त किया गया (प्रदर्श-पी/9) और उसे अपीलकर्ता को सुपुर्दनामे पर दिया गया। अभियोजन हेतु स्वीकृति (प्रदर्श-पी/6) प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दंडित किया।

3. श्री राजीव श्रीवास्तव, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को ठोस और प्रामाणिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहा है। अवैध पारिश्रमिक की माँग, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने हेतु अनिवार्य शर्त है, सिद्ध नहीं हुई है। इसे सिद्ध करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि अनुमान लगाया भी जाए, तो अभियुक्त ने यह स्थापित कर दिया है कि उसने धनराशि को अवैध पारिश्रमिक के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(ध) सहपठित धारा 5(2) के सभी तत्वों को संतोषजनक रूप से सिद्ध करे, तभी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि से वैध नहीं है और अभियुक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी के अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। रिश्वत की राशि अभियुक्त से बरामद हुई है। जब अभियुक्त के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अनुमान है और उसके विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 18 में यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) और प्रकाश काले (अ.सा.-6) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि शिकायत (प्रदर्श-पी/8) प्रमोद काले (अ.सा.-8) द्वारा की गई थी और अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि प्राप्त की थी, जो कि अवैध पारिश्रमिक है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(d) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

6. सूरज मल बनाम शासन (दिल्ली प्रशासन), [(1979) 4 एसएससी 725] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मात्र बरामदगी अपने आप में अभियुक्त के विरुद्ध

अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती, जब तक कि कोई साक्ष्य यह न दर्शाए कि रिश्वत का भुगतान हुआ अथवा अभियुक्त ने स्वेच्छा से धनराशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया।

7. सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सी.बी.आई., कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, (2009) 3 एसएससी 779 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अवधारित किया है:

"18. सुरज मल बनाम शासन (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एसएससी 725 में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि (एसएससी पृष्ठ 727, अनुच्छेद 2 पर) केवल दूषित धन की बरामदगी, उस परिस्थिति से पृथक जिसमें वह दिया गया हो, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में मुख्य साक्ष्य विश्वसनीय न हो। मात्र बरामदगी अपने आप में अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती, जब तक कि रिश्वत के भुगतान का प्रमाण न हो अथवा यह न दिखाया जाए कि अभियुक्त ने धनराशि को यह जानते हुए स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में स्वीकार किया।

22. यह समान रूप से स्थापित विधि है कि जिस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान लगाया जाता है, उस पर आरोपित प्रमाण-भार अभियोजन पक्ष पर आरोपित प्रमाण-भार के समान नहीं होता, जहाँ अभियोजन को अपराध को संदेह से परे सिद्ध करना होता है।

"4. .....यह सुव्यवस्थित विधि है कि जहाँ किसी मुद्दे का प्रमाण-भार अभियुक्त पर होता है, वहाँ उससे यह अपेक्षित नहीं है कि वह अपने पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करे। यानी, यह निश्चित रूप से वह परीक्षा है जो यह तय करने के लिए निर्धारित किया गया है कि क्या अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को साबित करने का अपना दायित्व पूरा किया है किन्तु यह परीक्षा अभियुक्त पर लागू नहीं होती, जब वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत उस पर आरोपित अनुमान को निरस्त करने का प्रयास करता है। अभियुक्त के लिए इतना पर्याप्त है कि वह अपने पक्ष में संभाव्यता के प्राबल्य को सिद्ध कर दे। अभियुक्त को अपने पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, या ऐसा न करने पर दोषसिद्धि का आदेश दिया जाए। अभियुक्त पर आरोपित प्रमाण-भार यह है कि वह अपने पक्ष को संभाव्यता के प्राबल्य द्वारा सिद्ध करे। जैसे ही वह ऐसा कर देता है, प्रमाण-भार पुनः अभियोजन पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अब भी अपने मूल प्रमाण-भार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को निर्वहन करना होता है, जो कभी स्थानांतरित नहीं होता, अर्थात् सम्पूर्ण मामले में अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध करना।"
(बल दिया गया) (देखें वी.डी. झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1966 एससी 1972, एआईआर पृष्ठ 1764, पैरा 4।)

8. केरल शासन एवं अन्य बनाम सी.पी. राव, [(2011) 6 एसएससी 450] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"7. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विशेष रूप से न्यायालयीन साक्षी-1 का परीक्षण न किया जाना उच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय पानालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(1979) 4 एसएससी 526] का उल्लेख किया, जिसमें इस न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने यह कहा कि जब अभियुक्त द्वारा रिश्वत माँगने के संबंध में शिकायतकर्ता की गवाही का कोई पुष्टिकरण नहीं होता, तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि शिकायतकर्ता का कथन पुष्ट नहीं हुआ है और इसलिए शिकायतकर्ता की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, पानालाल दामोदर राठी मामले में तीन-सदस्यीय पीठ ने यह माना कि अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह है और मामला संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। (देखें एसएससी कंडिका 11)।

10. सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, [(2009) 3 एसएससी 779] में इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मामले पर विचार करते हुए अपने पूर्व निर्णय सुरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), [(1979) 4 एसएससी 725] का उल्लेख किया और यह कहा कि मात्र धन की बरामदगी, उस परिस्थिति से पृथक जिसमें वह दिया गया था, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में मुख्य साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। मात्र बरामदगी अपने आप में अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती। यदि रिश्वत के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं है या यह दिखाने का कोई प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धनराशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया, तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती। (देखें एसएससी कंडिका 18)।

11. इस न्यायालय के एक बाद के निर्णय में भी, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत था, ए. सुबैर बनाम राज्य केरल, [(2009) 6 एसएससी 587] में, इस न्यायालय ने रिश्वतखोरी के मामले में शिकायतकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कीं। प्रासंगिक टिप्पणियाँ कंडिका 18-19 में की गई हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: (एसएससी पृ. 592)

"18. ..... उच्च न्यायालय ने यह माना कि चूँकि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वे प्रयास असफल रहे क्योंकि शिकायतकर्ता भारत में उपलब्ध नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता का परीक्षण न होना उचित था।

19. हमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। जाँच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के परीक्षण न किए जाने के लिए किसी प्रकार की व्याख्या के अभाव में, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह उचित नहीं था कि वे स्वयं कोई कारण खोजें कि शिकायतकर्ता को साक्ष्य में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाना चाहिए कि माँग को सिद्ध करने हेतु सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।"

12. उपर्युक्त उद्धृत टिप्पणियाँ इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होती हैं। उन टिप्पणियों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने ए. सुबैर मामले के एसएससी अनुच्छेद 28 में यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को आरोप को संदेह से परे सिद्ध करना होता है, जैसे कि किसी अन्य आपराधिक अपराध में किया जाता है, और अभियुक्त को निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए—अर्थात्, अवैध पारिश्रमिक की मांग और स्वीकृति का उचित प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जो रिश्वतखोरी के मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का मुख्य तत्व है। उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना कठिन प्रतीत होता है।"

9. एच.एन. शुक्ला (अ.सा.-10) ने यह कहा कि प्रासंगिक अवधि में वे लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 19-3-1986 को प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने उप पुलिस अधीक्षक, अर्थात् डी.एल. मरकाम के समक्ष शिकायत (प्रदर्श-पी/8) प्रस्तुत की। उक्त शिकायत (प्रदर्श-पी/8) उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें अग्रेषित की गई। शिकायत (प्रदर्श-पी/8) प्रमोद काले (अ.सा.-8) द्वारा की गई थी, जिस पर प्रकाश काले (अ.सा.-6) के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। शिकायत (प्रदर्श-पी/8) में यह उल्लेखित है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से दुकान के पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु ₹150/- रिश्वत की मांग की थी। शिकायत (प्रदर्श-पी/8) के आधार पर उन्होंने दो पंच गवाहों—बलवंत सिंह छाबड़ा, अतिरिक्त तहसीलदार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिलासपुर (अ.सा.-1) तथा एस.एन. दुबे, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त—को बुलाया। एक पूर्व-ट्रैप प्रदर्शन आयोजित किया गया। शिकायत (प्रदर्श-पी/8) गवाहों को उनके अवलोकन हेतु दी गई। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। उसमें कागज डुबोया गया। रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तत्पश्चात, फिनॉल्फ्थलीन पाउडर से लेपित अन्य कागज को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया। घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को बोतल में रखकर सील किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता से ₹150/- के नोट प्रस्तुत करने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने ₹100/- तथा ₹50/- के नोट प्रस्तुत किए। इन नोटों के क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा में अंकित किए गए। नोटों पर फिनॉल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया और नोटों को शिकायतकर्ता की टी-शर्ट की जेब में रखा गया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को यह सूचित और निर्देशित लिया गया कि वह नोट अभियुक्त को केवल तभी देगा जब अभियुक्त उनसे मांग करेगा। पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) तैयार किया गया। बलवंत सिंह छाबड़ा (अ.सा.-1) ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वे प्रकाश काले (अ.सा.-6) की दुकान पर गए। वे प्रमोद काले (अ.सा.-8) के भाई प्रकाश काले (अ.सा.-6) की दुकान पर गए थे और दुकान के पास खड़े थे। शिकायतकर्ता दुकान में गया। कुछ समय बाद अभियुक्त वहाँ आया और दुकान में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात शिकायतकर्ता और अभियुक्त दुकान से बाहर आए। शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने सिर रगड़कर प्रतीक संकेत प्रतीक्षा कर रही ट्रैप-टीम को दिया। प्रतीक्षा कर रही ट्रैप-टीम तुरंत पहुँची और अभियुक्त को दुकान के भीतर ले गई। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अभियुक्त के हाथ उसमें धोए गए। घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे बोतल में रखकर सील किया गया। तत्पश्चात, सोडियम कार्बोनेट का अन्य घोल तैयार किया गया और बलवंत सिंह छाबड़ा (अ.सा.-1) के हाथ उसमें डुबोए गए, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद बलवंत सिंह छाबड़ा (अ.सा.-1) ने अभियुक्त की पैंट की जेब से नोट बरामद किए और उनके क्रमांक पूर्व-ट्रैप पंचनामा में अंकित क्रमांकों से मिलाए गए, जो समान पाए गए। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर बरामद नोट उसमें डुबोए गए। घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को बोतल में रखकर सील किया गया। नोटों की जब्ती प्रदर्श-पी/11 के तहत की गई। बलवंत सिंह छाबड़ा (अ.सा.-1) ने भी अपने बयान के अनुच्छेद 5, 6 और 7 में इसी प्रकार का विवरण दिया।

10. प्रकाश काले (अ.सा.-6) ने कहा कि वे जरहाभाठा चौक, बिलासपुर में "प्रकाश ऑटोमोबाइल्स" नाम से ऑटो-पार्ट्स की दुकान चला रहे थे। मार्च, 1986 में उनके भाई प्रमोद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

काले (अ.सा.-8) ने उन्हें बताया कि श्रम निरीक्षक (अभियुक्त) उनकी दुकान पर आया और ₹150/- की माँग की। तत्पश्चात उन्होंने सतर्कता कार्यालय में शिकायत (प्रदर्श-पी/8) की। प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने भी कहा कि उनके बड़े भाई की ऑटो-पार्ट्स की दुकान जरहाभाठा चौक पर थी और श्रम निरीक्षक (अभियुक्त) दुकान पर आया और दुकान से संबंधित गुमास्ता लाइसेंस के लिए ₹150/- की माँग की। जिस दिन अभियुक्त दुकान पर आया था, उस दिन उनके बड़े भाई प्रकाश काले (अ.सा.-6) दमोह गए हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रकाश काले (अ.सा.-6) ने उन्हें ₹150/- दिए और कहा कि यह राशि अभियुक्त को दे दी जाए।

11. अब मैं यह परीक्षण करूँगा कि क्या अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से ₹150/- रिश्वत के रूप में माँगे थे।

12. प्रकाश काले (अ.सा.-6) ने कहा कि अभियुक्त उनकी अनुपस्थिति में उनकी दुकान पर आया, दुकान का निरीक्षण किया और दुकान के लाइसेंस/पंजीयन प्रमाणपत्र से संबंधित कुछ कमियाँ बताईं, जो निरीक्षण टिप्पणी में उल्लिखित हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त ने उनके भाई से कहा कि लाइसेंस का नवीनीकरण आवश्यक है और इसके लिए ₹150/- से ₹200/- की राशि लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त ने उनके भाई से कहा कि यदि कमियाँ दूर नहीं की गईं तो दुकान के स्वामी के विरुद्ध मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमोद काले (अ.सा.-8) ने कहा कि अभियुक्त उनके भाई की दुकान पर आया, दुकान का निरीक्षण किया और कुछ कमियाँ बताईं। अभियुक्त ने यह भी कहा कि दुकान का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हुआ है, उसका नवीनीकरण आवश्यक है और नवीनीकरण की लागत, जुर्माने सहित, लगभग ₹150/- से ₹200/- होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सत्य है कि उनके भाई ने उन्हें ₹150/- दिए और कहा कि यह राशि अभियुक्त को लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क के रूप में दे दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रकाश काले (अ.सा.-6) ने कहा कि जब अभियुक्त को पैसा दिया गया, उस समय वे उपस्थित नहीं थे। जब वे दुकान पर लौटे, उन्होंने देखा कि मुद्रा नोट सतर्कता अधिकारी के हाथ में थे। जी.पी. यादव (अ.सा.-9) ने कहा कि 1981-86 के दौरान वे बिलासपुर में श्रम निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने कहा कि "प्रकाश ऑटोमोबाइल्स" नामक दुकान का निरीक्षण अभियुक्त द्वारा किया गया था और निरीक्षण के दौरान अभियुक्त ने कुछ कमियाँ बताईं

तथा दुकान का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं था और तीन अन्य कमियाँ भी अभियुक्त ने इंगित कीं। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त ने दुकान के स्वामी से कहा कि लाइसेंस के नवीनीकरण और संयोजन शुल्क हेतु कुल ₹171/- का भुगतान आवश्यक है, जो चालान या कार्यालय में नकद के रूप में किया जाना होगा।

14. शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8), प्रकाश काले (अ.सा.-6) तथा जी.पी. यादव (अ.सा.-9) के साक्ष्य का परीक्षण करने पर मैं पाता हूँ कि उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन करने में विफल रहा है क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रकाश काले (अ.सा.-6) की दुकान में बताई गई कमियों को ठीक करने के लिए पैसे मांगे थे और संयोजन शुल्क की मांग की और दुकान के लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए शुल्क की मांग की थी। शेष साक्ष्य भले ही यह दर्शाते हों कि अभियुक्त की जेब से मुद्रा बरामद हुई और उसके हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोने पर फिनॉल्फ्थेलीन की जाँच सकारात्मक पाई गई, तथापि ये तथ्य अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से ₹150/- की अवैध रिश्वत माँगी और प्राप्त की। चूँकि शिकायतकर्ता प्रमोद काले (अ.सा.-8) और प्रकाश काले (अ.सा.-6) ने अभियुक्त द्वारा रिश्वत माँगने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से संयोजन शुल्क तथा लाइसेंस/पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान हेतु कहा था, जिसका समर्थन जी.पी. यादव (अ.सा.-9) के साक्ष्य से होता है। मेरे विचार में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य अभियुक्त द्वारा रिश्वत माँगने को सिद्ध करने में किसी प्रकार सहायक नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती। अपराध को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा। यदि घटनाओं की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी स्थापित हो जाती है जो अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती है, तो अभियोजन पक्ष को उस संबंध में ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि वह पूर्ण श्रृंखला की आवश्यकताओं को उचित साक्ष्य द्वारा समर्थित कर सके।

16. जहाँ तक अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) के अंतर्गत उपधारणा का प्रश्न है, यह सुव्यवस्थित विधि है कि धारा 4(1) के अंतर्गत की गई उपधारणा अटल नहीं है। अभियुक्त, जिस पर अपराध का आरोप है, उसे वह उपधारणा खण्डित करने का अधिकार है, चाहे वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रतिपरीक्षण द्वारा हो अथवा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर। यदि अभियुक्त उपधारणा को असिद्ध करने में असफल रहता है, तो वह यथावत रहती है और तब न्यायालय यह मान सकता है कि अभियोजन ने सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त ने धनराशि को अवैध पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। यह भी समान रूप से स्थापित है कि धारा 4(1) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत जिस अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जाती है, उस पर प्रमाण का भार अभियोजन पक्ष पर आरोपित भार के समान नहीं है, जिसे संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियुक्त के लिए इतना पर्याप्त है कि वह अपने पक्ष में संभाव्यता के प्राबल्य को सिद्ध कर दे। अभियुक्त को अपना पक्ष संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और न ही ऐसा करने में असफल होने पर उसे दोषसिद्धि का सामना करना पड़ता है। अभियुक्त पर प्रमाण का भार केवल संभाव्यता के प्राबल्य तक सीमित है। जैसे ही अभियुक्त ऐसा करने में सफल होता है, भार पुनः अभियोजन पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अपना मूल भार निर्वहन करना ही होता है, जो कभी स्थानांतरित नहीं होता, अर्थात् सम्पूर्ण मामले में अभियुक्त का दोष संदेह से परे सिद्ध करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पूर्णतः असफल रहा है यह सिद्ध करने में कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की माँग की और उसे स्वीकार किया। केवल धनराशि की बरामदगी अपने आप में अभियोजन पक्ष का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती, जब तक कि यह प्रमाण न हो कि धनराशि रिश्वत के रूप में दी गई थी अथवा अभियुक्त ने उसे स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में स्वीकार किया।

18. उपरोक्त कारणों से अभियुक्त को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं और अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसकी जमानत बन्द-पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ताक्षर

आर.एस. शर्मा

2011:CGHC:10923

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur